# Subsidy On Agriculture Equipment In Up-2023 | एग्रीकल्चर मशीन सब्सिडी लिस्ट



समय से फसलों की बुआई करने से पौधों का विकास तो अच्छा होता है, साथ ही रोग और कीट भी कम लगते हैं. लेकिन फसलों की समय से बुआई के लिए कृषि यंत्रों का होना बहुत ही आवश्यक है. खेती में काम आने वाले यंत्रों से बुआई तो समय से होती है साथ ही मेहनत और समय की भी बचत होती है.

ऐसे में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने farm equipment पर **80%** तक Subsidy or grant देने का निर्देश जारी किया है इस agri equipment subsidy yojana से किसान समय से खेती करके कम श्रम पर अधिक फसल का उत्पादन ले सकेंगे.

तो दोस्तों आज हम आपको **subsidy on agriculture equipment in up** तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें के इन सबके बारे में वस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं की agriculture implements subsidy in uttar pradesh की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी.

आज भी भारत में खेती पारम्परिक तरीके से की जा रही है, जिससे श्रम और फसल दोनों को बहुतायत हानि होती है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस Agricultural Equipment Subsidy Scheme(कृषि यंत्र सब्सिडी योजना) से किसान अब वैज्ञानिक तारिकों से खेती करेंगे. जिससे किसान कम श्रम पर अधिक फसलों का उत्पादन कर सकेंगे.

# Contents [ hide ]

- 1 Subsidy on agriculture equipment in up
  - 1.1 आवश्यक दस्तावेज(up agriculture equipment subsidy Document)
    - 1.1.1 कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन
      - 1.1.1.1 कृषि सब्सिडी के लिए चयन की स्थिति
      - 1.1.1.2 ऐसे करें Grant on up agriculture equipment subsidy के लिए बुकिंग(up agriculture token)
        - 1.1.1.2.1 कृषि यंत्र छूट पर सब्सिडी के लिए बिल अपलोड करने की प्रक्रिया
  - 1.2 प्रश्न1. कृषि यंत्र पर कितनी छूट है?
  - 1.3 प्रश्न2. कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के बारे में बताएं?
  - 1.4 प्रश्न3. कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी है?
  - 1.5 Related

# **Subsidy On Agriculture Equipment In Up**

किसान खेती के लिए प्रेरित रहे इसके लिए **Mission on Agriculture Mechanization (NGT)** "मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एनजीटी)" योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने agriculture machine subsidy प्रदान करने की व्यवस्था की है|



उत्तर प्रदेश सरकार के इस up agriculture equipment subsidy द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार होने के साथ फसल के उत्पादन में सुधार होने की आशा व्यक्त की जा रही है,

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	सब्सिडी या अनुदान की राशि
1.	पम्पिंग सेट	उचित मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 10000 रुपये से जो भी कम हो.
2.	स्प्रिंकलर सेट	पर 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 75000 रुपये से जो भी कम हो,
3.	नैपसैक, फुट या पावर स्प्रेयर	उचित मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 3000 रुपये.
4.	7.5 H.P. Pumpset पर	उचित मूल्य का 50% या अधिकतम 10000 रुपये।
5.	laser land leveler	निर्धारित मूल्य का 50% /अधिकतम 150000 रुपये हो।
6.	सीडड्रिल/जीरोटिल/मल्टी क्राफ्ट/रिज फरो प्लांटर	निश्चित मूल्य का 50%/अधिकतम 15000 रुपये हो।
7.	रोटावेटर मशीन	निश्चित मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 30000 रुपये हो।
8.	8 H.P. से अधिक kisan power tiller	उचित मूल्य का 40%/अधिकतम 45000 रुपये जो भी कम हो।
9.	रीपर, बाइंडर, सुगर केन कटर प्लांटर	निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत/अधिकतम 20000 रू0 हो।
10.	40 H.P. ट्रेक्टर पर	निश्चित रेट का 25%/अधिकतम रू० 45000 हो।
11.	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर	उचित मूल्य का 25%/अधिकतम 25000 रू0 हो।
12.	पावर थ्रेशर	निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत/अधिकतम रू० 12000 हो।
13.	मानवचालित-विनोइंग फैन, चेफ कटर	उचित मूल्य का 25%/अधिकतम रू० २००० हो।
14.	माउंटेड स्प्रेयर ट्रेक्टर	निश्चित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू० ४००० हो।

# आवश्यक दस्तावेज(Up Agriculture Equipment Subsidy Document)

agricultural machinery subsidy in uttar pradesh पाने तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन करने के लिए निम्न Document की आवश्यकता होगी.

- लाभार्थी की पहचान के लिए आधार कार्ड.
- मोबाइल नंबर.
- भूमि की पहचान हेतु खेत की खतौनी.
- subsidy का लाभ लेने के लिए बैंक पास.
- पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो.

# कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन

Subsidy on agriculture equipment in up लेने के लिए Online आवेदन कैसे करें, इसकी सम्पूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है जिसे पढ़कर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

- Online registration करने के लिए सबसे पहले आपको UP Agricultural Equipment योजना कि **Official** website पर **Visit** करना है.
- होम पेज पर आने के बाद आपको यहा पंजीकरण करे पर क्लिक करना होगा.





• पंजीकरण करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया पेज Open होगा जो इस तरह का होगा.



- इस पेज पर आपको ऑनलाइन पंजीकरण करें /लिंक2 वाले पर क्लिक करना है.
- क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमे आपको इस पोर्टल में **register** करके **account create** बनाना होगा.
- Account बनाने के बाद फिर से आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा.
- होम पेज पर आपको यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें का लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकेंगे.
- यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा.



इस पेज पर आप एग्रीकल्चर मशीन सब्सिडी(agriculture machinery subsidy) के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसमे आपके पास **registration number** होना जरुरी है.

#### कृषि सब्सिडी के लिए चयन की स्थिति

- उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र हेतु चयन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा,
- होम पेज पर आने के बाद बाएँ ओर किसान सहायता पर क्लिक करना है.
- क्लिक करने के बाद एक और न्यू पेज ओपन हो जायेगा.
- इस पेज पर आपको कृषि यंत्र व कृषि रक्षा उपकरण हेतु चयन की स्थिति जानें पर क्लिक करना है.





• इसके बाद आपके सामने इस तरह का एक और पेज खुल जायेगा.



- इस पेज पर किसान सबसे पहले अपना जिला सेलेक्ट करें, फिर किसान Registration Number (पंजीयन संख्या) दर्ज करके खोजे पर क्लिक करें.
- खोजे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कृषि यंत्र/उपकरण हेतु चयन की स्थिति आ जायेगी.
- इस तरह आप uttar pradesh subsidy के चयन की स्थिति चेक कर सकते है.

#### ऐसे करें Grant On Up Agriculture Equipment Subsidy के लिए बुकिंग(Up Agriculture Token)

- up agriculture yantra subsidy पर अनुदान हेतु बुकिंग के लिए सबसे पहले आपको पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की वेबसाइट पर आना होगा।
- होम पेज पर आपको यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जायेगा।
- इस पेज पर आने के बाद आपको यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करें पर क्लिक करना है.
- यन्त्र हेतु टोकन जनरेट करें पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म open होगा. जिसे भरकर आप कृषि उपकरणों पर अनुदान की बुकिंग कर सकते हैं.

#### कृषि यंत्र छूट पर सब्सिडी के लिए बिल अपलोड करने की प्रक्रिया

- बिल अपलोड करने के लिए आपको पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर आपको यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें पर क्लिक करना है | क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जायेगा.
- इस पेज पर आने के बाद आपको बिल अपलोड करें पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन हो जायेगा.
- इस नए पेज पर आने के बाद **किसान पंजीकरण संख्या** और **टोकन संख्या** भरकर आगे बढ़े पर क्लिक करना है.
- क्लिक करते ही आपके सामने **बिल अपलोड** करने का **form** आ जायगा.



• इसमें आपको बिल को **स्कैन** करके **अपलोड** करना होता है.

**NOTE**- subsidy on agriculture equipment in up के लिए कम से कम 10 किसानो का एक समूह होना चाहिए, इस yojana का लाभ लेने के लिए समूह में आवेदन किया जाता है.

# इस लेख में क्या है,



इस लेख में हमने आपकों subsidy on agriculture equipment in up कैसे प्राप्त करें तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन करने के बारे में बताया है. साथ ही आपको Subsidy list on agricultural equipment और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए बिल अपलोड करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया गया है.

हम उम्मीद करते हैं की agriculture equipment subsidy in up की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इसलिए कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी **कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन** करके इसका लाभ ले सकें.

#### **FAO**

# प्रश्न1. कृषि यंत्र पर कितनी छूट है?

**उत्तर.** 1 लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए तथा 1 लाख रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये 5000 की **Bail money** किसान को देनी होती है।

# प्रश्न2. कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के बारे में बताएं?

उत्तर. आज हम आपको subsidy on agriculture equipment in up तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान छूट के लिए आवेदन और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उम्मीद करता हूँ की agriculture subsidy in Uttar Pradesh की यह जानकारी पसंद आएगी.

# प्रश्न3. कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी है?

उत्तर. किसान कम श्रम पर अधिक फसलों का उत्पादन कर सके तथा आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित हों. इसके लिए सरकार किसानों को 40 से 50 फीसदी तक अनुदान देती है.

# इन्हें भी पढ़ें-

- किसान हेल्पलाइन नंबर
- यूपी एग्रीकल्चर स्टेटस
- नाबार्ड पशुपालन लोन योजना 2023

